

दिल्ली



सत्यमेव जयते

राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण  
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. 101  
K.M. 5  
Delhi - 31  
C.A.B. 65  
2001

सं. 30 ]  
No. 30 ]

दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 20, 2001/फाल्गुन 1, 1922  
DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 20, 2001/PHALGUNA 1, 1922

[ रा.रा.क्षे.दि. सं. 42  
[N.C.T.D. No. 42

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 20 फरवरी, 2001

TRANSPORT DEPARTMENT  
NOTIFICATION

Delhi, the 20th February, 2001

सं. एस. ई. सी. वाई. 3(6)/84—90/परि./99/40.—  
दिनांक 21-1-1999 की समसंख्या, अधिसूचना के आंशिक संशोधन  
में तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88 के अधीन प्रदत्त  
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
निम्नानुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन करती है :—

1. प्रधान सचिव एवं आयुक्त (परिवहन)—अध्यक्ष
2. अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (यातायात)—सदस्य
3. श्री रमा कान्त गोस्वामी, एम.एल.ए.—सदस्य
4. श्री महेन्द्र सिंह यादव, एम.एल.ए.—सदस्य
5. सचिव (रा.प.प्रा.)—सदस्य-सचिव

यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के  
उपरराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पी.सी. जैन, सचिव  
(राज्य परिवहन प्राधिकरण)

No. SECY. 3(6)/84—90/TPT/99/40.— In partial  
modification of notification of even number dated  
21-1-1999 and in exercise of powers conferred under  
section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988, the  
Government of National Capital Territory of Delhi hereby  
constitutes the State Transport Authority for the National  
Capital Territory of Delhi as under :—

1. Pr. Secretary-cum-Commissioner (Transport)  
— Chairperson
2. Additional Commissioner of Police (Traffic)  
— Member
3. Shri Rama Kant Goswami, M.L.A. — Member
4. Shri Mahender Singh Yadav, M.L.A.  
— Member
5. Secretary (STA) — Member-Secretary.

This will come into force with immediate effect.

By Order and in the name of Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi.

P.C. JAIN, Secy. (STA)

## राजस्व विभाग

## अधिसूचनाएँ

दिल्ली, 20 फरवरी, 2001

सं. फा. 7(13)/रा. स्था./स. रा./97/1489(1).—

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 27(1)(बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल सर्वश्री प्रेम चन्द तथा वी.के. ग्रोवर (तहसीलदार) को जब तक वे इस पद पर बने रहते हैं अथवा अग्रिम आदेश तक जो भी पहले हो कथित क्षेत्र में सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं।

सं. फा. 7(13)/97/रा. स्था./स. रा./ (2).—

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (1901 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 15(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल सर्वश्री प्रेम चन्द तथा वी.के. ग्रोवर (तहसीलदार) को जब तक वे इस पद पर बने रहते हैं अथवा अग्रिम आदेश तक जो भी पहले हो कथित क्षेत्र में सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं।

सं. फा. 7(13)/97/रा. स्था./स. रा./ (3).—

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स कंसोलिडेशन व प्रिवेंशन आफ फ्रेगमेंटेशन अधिनियम, 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम संख्या 50 की धारा 14) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल सर्वश्री प्रेम चन्द तथा वी.के. ग्रोवर (तहसीलदार) को जब तक वे इस पद पर बने रहते हैं अथवा अग्रिम आदेश तक जो भी पहले हो कथित क्षेत्र में उक्त शक्तियों व अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सं. फा. 7(13)/97/रा. स्था./स. रा./ (4).—

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अध्याय 7 (विविध) की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल सर्वश्री प्रेम चन्द तथा वी.के. ग्रोवर (तहसीलदार) को जब तक वे इस पद पर बने रहते हैं अथवा अग्रिम आदेश तक जो भी पहले हो कथित क्षेत्र में सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं।

**REVENUE DEPARTMENT  
NOTIFICATIONS**

Delhi, the 20th February, 2001

No. F. 7(13)/97/SR/RE/1489(I).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (i) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act No. XVII of 1887) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon S/Sh. Prem Chand and V.K. Grover, Tehsildars the powers of

the Assistant Collector, Grade-II in the said Territory till such time they hold this post or till further orders whichever is earlier.

No. F. 7(13)/97/SR/RE/(II).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 15 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (Act No. II of 1901) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon S/Sh. Prem Chand and V.K. Grover, Tehsildars the powers of the Assistant Collector, Grade-II in the said Territory till such time they hold this post or till further orders whichever is earlier.

No. F. 7(13)/97/SR/RE/(III).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 14 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (East Punjab Act No. 50 of 1948) as extended to the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint S/Sh. Prem Chand and V.K. Grover, Tehsildars as Consolidation Officer in the said Territory for the purpose of the aforesaid Act, till such time they hold this post or till further orders whichever is earlier.

No. F. 7(13)/97/SR/RE/(IV).—In exercise of the powers conferred by Section 77 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon S/Sh. Prem Chand and V.K. Grover, Tehsildars the powers of the Assistant Collector, Grade-II in the said Territory till such time they hold this post or till further orders whichever is earlier.

दिल्ली, 20 फरवरी, 2001

सं. फा. 7(132)/रा. स्था./डी. सी./94/1488 (i).—

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 27 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल स्लम एवं जे.जे. विभाग, दिल्ली नगर निगम के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके पदों पर बने रहने तक या आगामी आदेशों तक जो भी इनमें से पहले हो, दिल्ली नगर निगम के स्लम एवं जे.जे. विभाग के स्वामित्व में या प्रबंध के अधीन भूमि तथा सम्पत्ति हेतु उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सहायक कलेक्टर ग्रेड-II की शक्तियां प्रदान करते हैं।

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पद
1.	श्री कृष्ण कुमार भारद्वाज	तहसीलदार
2.	श्री रामचन्द्र मीना	तहसीलदार

सं. फा. 7(132)/रा. स्था./डी. सी./94 (ii).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम,

1901 की धारा 15 की उपधारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल स्लम व जे.जे. विभाग, दिल्ली नगर निगम के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके पद पर बने रहने तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नगर निगम के स्लम व जे.जे. विभाग के स्वामित्व में या प्रबंध के अधिन भूमि तथा सम्पत्ति हेतु उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सहायक कलैक्टर ग्रेड-II की शक्तियां प्रदत्त करते हैं।

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पद
1.	श्री कृष्ण कुमार भारद्वाज	तहसीलदार
2.	श्री रामचन्द्र मीना	तहसीलदार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के नाम तथा उनके आदेश पर  
विरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव

Delhi, the 20th February, 2001

No. F. 7(132)/Rev. Estt./D. C./94/1488(i).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of NCT of Delhi is pleased to confer upon the following Officers of Slum & JJ Deptt., MCD, all the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in respect of Lands & Properties owned by, or under the management of the Slum & JJ Deptt., MCD, so long as they hold their post or till further orders whichever is earlier :—

S.No.	Name of the Officer	Designation
1.	Sh. Krishan Kumar Bhardwaj	Tehsildar
2.	Sh. Ram Chander Meena	Tehsildar

No. F. 7(132)/Rev. Estt./D. C./94/(ii).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 15 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of NCT of Delhi is pleased to confer upon the following Officers of Slum & JJ Deptt., MCD, as Assistant Collector, Grade-II in respect of Lands/ Properties owned by, or under the management of Slum & JJ Deptt., MCD, so long as they hold their post or till further orders whichever is earlier :—

S.No.	Name of the Officer	Designation
1.	Sh. Krishan Kumar Bhardwaj	Tehsildar
2.	Sh. Ram Chander Meena	Tehsildar

By Order and in the Name of  
the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi

VIRENDER KUMAR, Jr. Secy.

विशेष सचिव ( कराधान )

अधिसूचना

दिल्ली, 20 फरवरी, 2001

क्र.सं. एफ III-5/आ.बि.क्र/99/स्था.शाखा/7087.—

दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 (1975 का 43) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल बिक्री कर आयुक्त को उक्त अधिनियम के अंतर्गत उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारी को तत्काल नियुक्त करते हैं।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद
1.	श्री ए.पी. टमटा	बिक्री कर अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर  
पी.के. त्रिपाठी, विशेष सचिव

SPECIAL SECRETARY (TAXATION)

NOTIFICATION

Delhi, the 20th February, 2001

No. F. III-5/CST/Estt./99/7087.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of the Section 9 of the Delhi Sales Tax Act, 1975 (No. of 43 of 1975), the Lt. Governor, Govt. of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint with immediate effect the following officer to assist the Commissioner of Sales Tax in Execution of the function under the aforesaid Act:—

S.No.	Name of the Officer	Designation
1.	Sh. A.P. Tamta	Sales Tax Officer

By Order and in the Name of the  
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi  
P.K. TRIPATHI, Jr. Secy.

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 फरवरी, 2001

फा. संख्या-7(3)/2के.एए/254.—शिक्षता प्रशिक्षण अधिनियम, 1961 की धारा 24 की उपधारा (4) संपठित प्रशिक्षण परिषद् नियम, 1962 के नियम 4 के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल एतद्द्वारा दिल्ली शिक्षता परिषद् का तत्काल प्रभाव से दो वर्ष की अवधि के लिए निम्नानुसार गठन करते हैं।

- |   |            |
|---|------------|
| 1. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह, सदस्य<br>विधानसभा | —अध्यक्ष   |
| 2. श्री वीर सिंह, सदस्य विधान सभा               | —उपाध्यक्ष |

- |   |   |
|---|---|
| 3. उपाध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली —सदस्य  | 20. नामांकित अधिकारी, पी.एच.डी. वाणिज्य एवं औद्योगिक परिसंघ, पी.एच.डी. हाऊस, एशियन गेम्स क्विलेज, नई दिल्ली-16 —सदस्य |
| 4. प्रशासक, नई दिल्ली नगर परिषद, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली —सदस्य   | 21. संयुक्त सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा एवं अतिरिक्त कार्यकारी राज्य शिक्षता सलाहकार दिल्ली —सदस्य              |
| 5. आयुक्त, नगर निगम, टाऊन हाल, दिल्ली —सदस्य  | 22. उपशिक्षता सलाहकार दिल्ली —सदस्य   |
| 6. आयुक्त, उद्योग, दिल्ली सरकार —सदस्य  | 23. निदेशक एवं प्रधान सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा एवं कार्यकारी, राज्य शिक्षता सलाहकार, दिल्ली —सदस्य सचिव      |
| 7. श्रम आयुक्त/निदेशक (रोजगार) दिल्ली सरकार —सदस्य  |   |
| 8. निदेशक, प्रशिक्षण प्रशिक्षण, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय श्रमशक्ति भवन, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली —सदस्य |   |
| 9. प्रधानाचार्य, दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज, दिल्ली —सदस्य  |   |
| 10. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोन-2, एम एस ओ भवन, इन्दप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली —सदस्य                  |   |
| 11. महाप्रबन्धक, दिल्ली विद्युत बोर्ड, शक्ति भवन, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली —सदस्य                                 |   |
| 12. पंजीयक, तकनीकी शिक्षा बोर्ड, पीतमपुरा, दिल्ली —सदस्य  |   |
| 13. महाप्रबन्धक (प्रशासन), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, खुर्शीदलाल भवन, नई दिल्ली —सदस्य                        |   |
| 14. मुख्य अभियन्ता दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम, 36 बॉम्बे लाईफ बिल्डिंग कनॉट सर्कस, नई दिल्ली —सदस्य       |   |
| 15. महाप्रबन्धक, प्रोटो-टाइप विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र, ओखला नई दिल्ली —सदस्य                                 |   |
| 16. कार्यकारी निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, लोधी रोड, नई दिल्ली —सदस्य              |   |
| 17. कार्यकारी निदेशक, दिल्ली उत्पादकता परिषद, 1—एफ/10, स्वामी राम तीर्थ नगर, नई दिल्ली-55 —सदस्य                |   |
| 18. उपमुख्य मैकेनिकल अभियन्ता, दिल्ली परिवहन निगम, बन्दा बहादुर मार्ग परिसर, दिल्ली —सदस्य                      |   |
| 19. नामांकित अधिकारी, भारतीय औद्योगिक परिसंघ 23, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-3 —सदस्य             |   |

कौंसिल के कार्य : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अन्तर्गत शिक्षता प्रशिक्षण योजना लागू करने से संबंधित मामलों का निपटान।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल के आदेश एवं नाम पर  
मधुकर, संयुक्त सचिव

**DEPARTMENT OF TRAINING & TECHNICAL  
EDUCATION  
NOTIFICATION**

Delhi, the 20th February, 2001

No. 7(3)/21/AA/254.— In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 24 of the Apprentices Act, 1961 read with rule 4 of the Delhi Apprenticeship Council Rules, 1962, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby constitutes the Delhi Apprenticeship Council for a period of two years, with immediate effect, as Under :—

1. Shri Travinder Singh Marwahi, M.L.A., Delhi — Chairman
2. Shri Veer Singh, M.L.A., Delhi — Vice-Chairman
3. Vice-Chairman, D.D.A., Delhi — Member
4. Administrator, N.D.M.C. Patika Kender, N.D. — Member
5. Commissioner, M.C.D., Town Hall, Delhi — Member
6. Commissioner, Industries, Govt. of Delhi — Member
7. Labour Commissioner-cum-Director (Employment) Govt. of Delhi — Member
8. Director Apprenticeship Training, DGE & I, Shram Shakti Bhawan, Ministry of Labour, N.D. — Member
9. Principal, Delhi College of Engg., Delhi. — Member

- |   |         |   |               |
|---|---------|---|---------------|
| 10. Chief Engineer, PWD Zone-II,<br>MSO Bldg, I.P. Estate, New<br>Delhi                                 | —Member | 19. Nominee of Confederation of<br>Indian Industries<br>23-Institutional<br>Area, Lodhi Road,<br>New Delhi-3                  | —Member       |
| 11. General Manager, D.V.B.<br>Shakti Bhawan, Nehru Place,<br>New Delhi                                 | —Member | 20. Nominee of Punjab, Haryana,<br>Delhi Chamber of Commerce<br>and Industries, PHD House,<br>Asian Games Village,<br>N.D.-16 | —Member       |
| 12. Registrar, Board of Technical<br>Education, Pitampura, Delhi  | —Member | 21. Joint Sactetary, Trg. & Tech.<br>Education, Pitam Pura and<br>Ex-officio Additional State<br>Apprenticeship Adviser       | —Member       |
| 13. General Manager (Admn.),<br>MTNL, Khurshid Lal Bhawan,<br>New Delhi                                 | —Member | 22. Deputy Apprenticeship<br>Adviser, Delhi   | —Member       |
| 14. Chief Engineer, DSIDC,<br>36-Bombay Life Bldg.<br>Connaught Circus,<br>New Delhi                    | —Member | 23. Director-cum-Principal<br>Secretary, Trg. & Tech.<br>Education & Ex-officio State<br>Apprenticeship Adviser               | —Member Secy. |
| 15. General Manager, Prototype<br>Development Training Centre<br>Okhla, New Delhi,                      | —Member |   |               |
| 16. Executive Director (P & A),<br>N.B.C.C., Lodhi Road,<br>New Delhi                                   | —Member |   |               |
| 17. Executive Director, Delhi<br>Productivity Council<br>1-F/10 Swami Ram<br>Tirath Nagar, New Delhi-55 | —Member |   |               |
| 18. Dy. Chief Mech. Engineer,<br>D.T.C., B.B.M. Complex,<br>Delhi                                       | —Member |   |               |

Funcion of the Council :

To deal with matter relating to the implementation of Apprenticeship Training Scheme in the National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of the  
Lt. Governor of the National  
Capital Territory of Delhi

MADHUKAR, Jt. Secy.